इकाई 2 षिक्षा और भारतीय संविधान

इकाई की रूपरेखा

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देष्य

2.3 षिक्षा और राष्ट्रीय विकास

2.4 राष्ट्रीय लक्ष्य और षिक्षाः भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए दिषा निर्देष

- 2.4.1 लोकतंत्र और षिक्षा
- 2.4.2 समाजवादी आदर्ष और षिक्षा
- 2.4.3 धर्मनिरपेक्षवाद और षिक्षा

2.5 षिक्षा के लिए संवैधानिक प्रबंध

- 2.5.1 मौलिक अधिकार और षिक्षा
- 2.5.2 राज्य के नीति निर्देषक सिद्धान्त और षिक्षा
- 2.5.3 षिक्षा का माध्यम
- 2.5.4 षिक्षा और विधायी षक्तियों का बँटवारा
- 2.5.5 समाज के कमज़ोर वर्गों की षिक्षा
- 2.5.6 अल्पसंख्यक समूह के हितों की सुरक्षा
- 2.5.7 बालिकाओं की षिक्षा

2.6 शैक्षिक विधान और संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की योजनाएँ

2.7 सारांष

2.8 अभ्यास

2.9 बोध प्रष्नों के उत्तर

2.10 उपयोगी पुस्तकें

2.1 प्रस्तावना

क्या कभी आपने राष्ट्र निर्माण के कार्य में षिक्षा को प्रथम महत्त्व देने के कारणों के बारे में सोंचा है? इस प्रष्न का उत्तर निहित है; बदलते समय की चुनौतियों की पूर्ति हेतु लोगों को सक्षम बनाने के लिए षिक्षा की सम्यक प्रदर्षित क्षमता में। क्या आप जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब स्वतंत्रता के नए युग की चुनौतियों एवं माँगों की पूर्ति के लिए कुषल मानवषक्ति की बहुत कमी थी। इसका कारण देष में विद्यमान जन निरक्षरता थी। 1947 में, संपूर्ण जनंसख्या का केवल 14 प्रतिषत ही साक्षर था और तीन में से केवल एक बच्चा ही प्राथमिक विद्यालय में नामांकित था। देष में प्रषिक्षित तकनीकी और वैज्ञानिक कार्मिकों की अत्यधिक कमी थी जो देष के पुनर्निर्माण के अतिविषाल कार्य में लग सकें। भारत में असमानता, निरक्षरता और अनभिज्ञता की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नवोत्पादक क्षमताओं का विकास करके मानव संसाधन के निकाय को बड़ा करने की शीघ्र आवष्यकता थी। यह भी अनिवार्य था कि अपने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का लाभ सुनिष्चित दिया जाए। यह सब केवल तभी संभव था जब एक गुणवत्तापूर्ण षिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया जाए और इसे मजबूत किया जाए। इसलिए षिक्षा को भारतीय संविधान में प्राथमिक महत्व दिया गया। इस इकाई में हम भारत के संविधान में षिक्षा से संबद्ध प्रावधानों और अद्यतन षैक्षिक परिदृष्य पर उसके प्रभावों की चर्चा करेंगे।

2.2 उद्देष्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आपः

- राष्ट्रीय विकास में षिक्षा की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे;
- भारत में षिक्षा के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध कर सकेंगे;
- भारत में षिक्षा पर विविध संवैधानिक प्रावधानों के प्रभावों की चर्चा कर सकेंगे;
- संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने और संवैधानिक कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कर सकेंगे।

2.3 षिक्षा और राष्ट्रीय विकास

षिक्षा की विगत यात्रा पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि षिक्षा ने मानव इतिहास के प्रारम्भ से ही अपनी पहुँच और विस्तार को विकसित करना, विविधता उत्पन्न करना जारी रखा है। प्रत्येक देष अपनी अनोखी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाने और समय की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भी अपनी षिक्षा पद्धति विकसित करता है। वर्तमान सार्वभौमिक विष्व में षिक्षा का महत्व अविवाद्य है। निर्दोष षिक्षा पद्धति विष्व के किसी भी देष की प्रगति और समृद्धि के लिए एक अनिवार्य संघटक हो गई है। षिक्षा लोगों को आवष्यक ज्ञान, कौषल और अभिवृत्ति से सज्जित करने और सम्मानित जीवन जीने के लिए एक षक्तिषाली माध्यम के रूप में मानी गई है। षैक्षिक रूप से प्रबुद्ध (ज्ञानसंपन्न) लोग राष्ट्रीय उन्नति और विकास के लिए आधारषिला रखते हैं। दूसरे षब्दों में, षिक्षा समानता और सामाजिक न्याय के आधारभूत मूल्यों को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक सहायता करती है।

षिक्षा के त्रिविध कार्य जैसे संरक्षण, संचरण और प्रगति लोगों को इस योग्य बनाती है कि वे विकास की प्रक्रिया में बहुमूल्य योगदान कर सकें और भावी पीढ़ी के लिए वांछित सामाजिक ढाँचे को सुरक्षित रखने में हमारी सहायता कर पाएँ। इसके अलावा गतिषील और दूरदर्षी बनने और नए ढाँचे को अपनाने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। इस संदर्भ में हम षिक्षा के बारे में स्टोर्ड के विचारों को बिल्कुल ठीक पाते हैं। उनके अनुसार "षिक्षा है, अथवा हो सकती है, समाजों के अनुरक्षण की यांत्रिकी (क्रियाविधि) से अधिक; यह उनकी वृद्धि (विकास) का एक साधन है।" चार्ल्स जॉनसन ने भी षिक्षा को "संचरण की प्रक्रिया से अधिक" के रूप में माना और वे महसूस करते हैं कि "यह लोगों की कायापलट करने (परिवर्तन) में सहायता करती है।" षिक्षा समाजों को अवसर और अनुभव प्रदान कर उनमें परिवर्तन ला सकती है जिसके द्वारा लोगों के साथ समायोजन करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। वे एक बेहतर भविष्य के लिए सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के निर्धारण और दिषा–निर्देष के योग्य भी हो सकते हैं।

राष्ट्र को विकसित करने और इसकी पहचान बनाने में षिक्षा के व्यापक कार्यक्षेत्र और प्रकार्यों को समझने में, आप षिक्षा पद्धति को एक उत्प्रेरक अभिकर्त्ता की तरह निम्नलिखित के लिए एक षक्तिषाली उपकरण के रूप में देख सकते हैंः

- मानव संसाधन विकास,
- सामाजिक नियंत्रण को प्रयोग (उपभोग) करने और बरकरार रखने,
- ऊर्ध्व सामाजिक गतिषीलता को प्रेरित करने और
- इस प्रकार सामाजिक प्रगति को सहज बनाने।

अब आप पूर्ण रूप से अवष्य समझ गए होंगे कि गतिषील सामाजिक परिदृश्य की आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए, समाज और षिक्षा के मध्य सही संबंध स्थापित करना महत्त्वपूर्ण माना जाता है। भारत का संविधान देष में षैक्षिक प्रचालन को बढ़ावा देने, कार्यान्वित करने और नियंत्रित करने के लिए षिक्षा और समाज के बीच आवष्यक रूपरेखा और दिषा–निर्देष प्रदान कर अन्तःसंबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्न करता है। इस इकाई के अगले भागों में, आप भारत में षैक्षिक प्रचालन (कार्यवाही) एवं प्रकार्यों को प्रभावित करने वाले विविध संवैधानिक प्रावधानों के बारे में अध्ययन करेंगे।

बोध प्रष्न

टिप्पणीः क) अपने उत्तर दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

1) ऐसे चार तरीकों का वर्णन कीजिए जिसमें षिक्षा राष्ट्रीय वृद्धि और विकास को पोषित करने में सहायता करती है।

.....

.....

.....

.....

.....

2.4 राष्ट्रीय लक्ष्य और षिक्षाः भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए दिषा निर्देष

भारत का संविधान, रचनात्मक अभिषासन के आधारभूत प्रकार्यों का वर्णन करता है और इसकी प्राप्ति के लिए तरीके और साधन प्रदान करता है। यह अनुच्छेदों एवं अनुसूचियों के एक समूह (सेट) से कहीं बहुत अधिक है। यह प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के लोगों के आदर्षों एवं आकांक्षाओं को मूर्त रूप देता है। यह नागरिकों के हितों एवं अधिकारों की सुरक्षा सुनिष्चित करता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में उनके कल्याण हेतु कार्य करने के लिए सरकार को दिषा निर्देष देता है। साथ ही यह भी संकेत करता है कि नागरिक को स्वयं किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए और देष के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। भारत के संविधान ने स्वतंत्र भारत में लक्ष्यों एवं नीतियों की बुनियादी रूपरेखा रखी।

संविधान की प्रस्तावना, जिसके लिए देष को कार्य करना चाहिए, मूलभूत दर्षन और लक्ष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह भारतीय राज्यों की व्याख्या, लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में करती है, जो अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। यहाँ पर 'राज्य' षब्द का अर्थ है "भारत की सरकार और संसद तथा भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी प्राधिकार या भारत के नियंत्रण में आने वाली प्रत्येक राज्यों की सरकार और विधायिका" (अनुच्छेद 12)। षैक्षिक लक्ष्य, नीतियाँ और देष के कार्यक्रम, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित राष्ट्रीय लक्ष्यों और बुनियादी मूल्यों की रूपरेखा के अन्तर्गत बताए गए हैं।

एक अग्रदर्षी षिक्षक होने के नाते आपके लिए 'लोकतंत्र, समाजवादी आदर्ष और धर्मनिरपेक्षवाद' की अवधारणा को समझना अनिवार्य हो जाता है, जो कि भारतीय राज्य की असली विशेषता और षिक्षा के लिए उनका निहितार्थ है। आइए, इन सब अवधारणाओं की चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इन विचारों ने किस प्रकार देष के षैक्षिक ढाँचे को आकार दिया है।

2.4.1 लोकतंत्र और षिक्षा

लोकतंत्र का अर्थ है लोगों की षक्ति। लोकतंत्र एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक समानता पर बहुत अधिक निर्भर करता है। व्यक्तियों के लिए सम्मान और अवसरों की समानता लोकतांत्रिक दर्षन के दो आधारभूत स्तम्भ हैं। सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक स्थिति या अवस्था की समानता और प्रत्येक व्यक्ति के विकास के अवसर की ओर संकेत करता है। यह किसी भी आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करता है और समाज के प्रत्येक सदस्यों के मूल्य को पहचानता है तथा एक ऐसी स्वायत्त सत्ता के रूप में मानता है जिसके पास अपने कार्यकलापों को नियंत्रित करने का पूरा अधिकार हो। लोकतंत्र के आर्थिक पहलू का अर्थ होता है कि आर्थिक षक्तियों का कुछ ही हाथों में संकेन्द्रित न होकर संपूर्ण लोगों के हाथों में निहित होना। आर्थिक लोकतंत्र, धन के समान और न्यायसंगत वितरण और समुदाय के प्रत्येक सदस्य के लिए स्वच्छ जीवन स्तर पर आधारित है। लोकतंत्र का राजनीतिक सम्प्रत्यय समाज के प्रत्येक सदस्य के मूल्य और गरिमा को पहचानता है और उनकी वैयक्तिकता का सम्मान करता है। इसे "लोगों की, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा सरकार" के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक वयस्क की स्थिति की ओर संकेत करता है जिसके पास मताधिकार का अधिकार हो और देष के अभिषासन में साझेदारी हो। लोकतांत्रिक राज्य कल्याणकारी राज्य है जिसका उद्देष्य जनता का कल्याण करना है।

अतः इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक लोकतांत्रिक समाज निम्नलिखित के लिए प्रयास करता हैः

- व्यक्ति की गरिमा,
- समानता
- स्वतंत्रता,
- भाईचारा
- आपसी सहयोग
- सभी व्यक्तियों के योगदान की सराहना और
- अच्छी नागरिकता

कुछ शर्तें हैं जिन्हें कि लोकतंत्र की सफलता के लिए पूरा किया जाना है, जैसे कि लोकतांत्रिक आदर्षों में लोगों का विष्वास, नागरिक उत्तरदायित्वों की जिम्मेदारी की तत्परता, राजनीतिक चेतना, एक दूसरे के प्रति सम्मान, सभी लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा, और समाज के सदस्यों की षिक्षा। षिक्षा को मूल महत्व का और सामाजिक आदर्षों को प्राप्त करने के प्रमुख उपकरण के रूप में माना जाता है। यह देष के नागरिकों में वांछित अभिवृत्ति का सृजन करने के लिए एक उपकरण है। लोकतंत्र का उद्देष्य केवल समान अवसरों को प्रदान करना ही नहीं है बल्कि अधिकारों को भी देना है। जिम्मेदारियाँ, लोकतंत्र पर निगरानी रखने का कार्य करती हैं। लोकतंत्र अपने उद्देष्यों की पूर्ति हेतु षिक्षित और

प्रबुद्ध नागरिकों की माँग करता है। अतः एक लोकतांत्रिक राज्य में षिक्षा की पहुँच जन–जन तक होनी चाहिए। षिक्षा के द्वारा नागरिकों की अधिकतम क्षमताओं का विकास करने के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए।

2.4.2 समाजवादी आदर्ष और षिक्षा

आइए, द्वितीय राष्ट्रीय लक्ष्य अर्थात् "समाजवाद" और षिक्षा के लिए इसके निहितार्थ की चर्चा करते हैं। समाजवाद उन पहियों में से एक है जिस पर राजनीतिक लोकतंत्र का न्यूनतम स्तर और धनवान और निर्धन के मध्य न्यूनीकृत अंतर सुनिष्चित करता है। आर्थिक स्थिरता और वृद्धि के बिना लोकतंत्र स्थिर नहीं रह सकता।

समाजवाद का लाभ, जिसका अर्थ है मानव की गरिमा और स्वतंत्रता, समाज के निरक्षर और अषिक्षित सदस्यों द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के शोषण के लिए अति संवेदनषील हैं। अतः षिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।

2.4.3 धर्मनिरपेक्षवाद और षिक्षा

डॉ. राधकृष्णन के शब्दों में भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षवाद सभी विष्वासों (आस्थाओं) और धर्मों को सम्मान देने की ओर संकेत करता है क्योंकि भारत अपार विषमताओं सहित बहुधर्मों और बहुभाषाओं वाला देष है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था *"धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं की नहीं मानेंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि संसद लोगों पर किसी विशेष धर्म को थोपने में सक्षम नहीं होगी। एक मात्र यही सीमा है जिसे संविधान मान्यता देता है।"* अतः धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता निम्नलिखित रूप में बताई जा सकती हैः

- अपना खुद का कोई धर्म न होना,
- किसी विष्वास (मत) के अनुयायियों के साथ अधिमान्य व्यवहार न करना,
- किसी व्यक्ति के साथ उसके/उसकी आस्था (विष्वास) के आधार पर भेदभाव न करना,
- सभी मतों (विष्वासों) के लोगों को सरकारी प्रतिष्ठानों में रोजगार के समान अवसर प्रदान करना।

तदनुसार देष के प्रत्येक नागरिक को अपने स्वयं के धर्म के अनुसार आचरण करते समय समान अवसर प्राप्त है।

धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ है कम से कम पाँच मूल्य जिन्हें षिक्षा विकसित कर सकती है। ये हैंः शांति, प्रेम, सहिष्णुता, सत्य और आदर। धर्म को जीवन के एक ढंग के रूप में इसके व्यापक अर्थ में समझा जाए न कि संकुचित सख्त निर्देषन के रूप में जो एक की दूसरों पर श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करता है। भारत स्वयं को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर अपने सभी नागरिकों को दूसरे धर्मों का अपमान किए बिना अपने धर्म का पालन एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। फलतः धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हितों को संविधान की विभिन्न धाराओं के माध्यम से सम्यक रूप से सुरक्षित रखा गया है जिसकी इस इकाई के आगे के भाग में चर्चा की गई है।

बोध प्रश्न

टिप्पणीः क) अपने उत्तर दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

2) भारत को एक लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र घोषित करने के शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2.5 षिक्षा के लिए संवैधानिक प्रबंध

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ, वर्तमान परिदृश्य का संपूर्ण परिवर्तन (कायापलट) का लक्ष्य निध ार्ारित किया गया था। नए उद्देष्यों और नए उत्तरदायित्वों की लोकतांत्रिक, प्रभुत्वसंपन्न और धर्मनिरपेक्ष राज्य द्वारा प्रतिज्ञा की गई। नए कार्य क्षेत्र में षिक्षा की प्रमुखता और अनिवार्य रूप से इसके महत्व को रेखांकित किया गया। यह अनुभव करते हुए कि प्रभावी और सफल लोकतंत्र "मास्टरों (राष्ट्र के नागरिकों) को षिक्षित करने पर" निर्भर करता है, स्वतंत्र भारत के संस्थापक आचार्यों ने षिक्षा से संबंधित प्रावधानों को संविधान में उदारता से शामिल किया। अब हम सब इन प्रावधानों की चर्चा करते हैं और भारत में षिक्षा पर उनके प्रभाव को देखते हैं।

2.5.1 मौलिक अधिकार और षिक्षा

संविधान में दिए गए नागरिकों के मौलिक अधिकारों ने समानता की भावना स्थापित की है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहायता की है। ये अधिकार परिसीमन के रूप में (कुछ निष्चित अपवादों सहित) कार्य करते हैं, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को धारण करते हैं। इस श्रेणी में निम्नलिखित अनुच्छेद भारत में षिक्षा से विशेष रूप से संबंधित हैंः

- **अनुच्छेद 14** – "कानून के समक्ष समानता" सुनिष्चित करने का प्रयास करता है। यह कहता है *"राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता अथवा भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कानूनो की समान सुरक्षा से मना नहीं करेगा।"* वर्तमान राज्य व्यक्ति पर शक्तियों का प्रयोग करते हैं। समानता का अधिकार यह सुनिष्चित करने के लिए निर्दिष्ट करता है कि राज्य की शक्तियाँ बिना किसी भेदभाव के प्रयोग की जाती हैं। षिक्षा के संबंध में यह आह्वन किया जाता है कि प्रवेष के नियमों को ठीक किया जाए और इस प्रकार यह षिक्षा की पहुँच, सभी के लिए सुनिष्चित करने का कार्य करता है।

- **अनुच्छेद 15** – यह अनुच्छेद राज्य द्वारा धर्म, वंष, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का आष्वासन देता है। यह भारत में शैक्षिक अवसरों की गुणवत्ता भी सुनिष्चित करता है।

- **अनुच्छेद 21ए** – 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी *बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार* प्रदान करता है जिसे राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। दिसम्बर 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा शामिल किए गए, इस अनुच्छेद ने शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर शैक्षिक विस्तारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अधिकार का दर्जा प्रदान किया है। संविधान की शुरुआत में शिक्षा को संविधान के अनुच्छेद 45 के भाग IV के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देषक सिद्धांत के रूप में सम्मिलित किया गया था।

- **अनुच्छेद 28** – इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत न तो राज्य और न ही कोई अन्य अभिकरण, राज्य कोष द्वारा पूर्णतया प्रबंधित किसी भी विद्यालय में शिक्षा दे सकता है। हालाँकि, किसी ट्रस्ट या धर्मदाय के अंतर्गत संस्थापित संस्थाओं के लिए छूट है, जिनमें धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद आगे यह व्यवस्था प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत हो, उसे अभिभावकों की सहमति के बिना किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

  इसका अर्थ है कि जब तक अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित संस्थाएँ राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त करने के योग्य हैं, वे विद्यार्थियों को संस्था में दी जा रही धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकतीं। वे किसी भी अनिच्छुक विद्यार्थी पर अपनी धार्मिक विचारधारा (सिद्धांत) को थोपे बिना अपने धार्मिक स्वरूप को कायम रखने के लिए अनुमत हैं।

- **अनुच्छेद 29** – ऐसे समूहों के लिए निश्चित शैक्षिक अधिकारों की गारंटी देता है जिनके पास अपनी निश्चित भाषा, लिपि अथवा संस्कृति हो। अनुच्छेद देष के अंतर्गत सांस्कृतिक विविधता को संरक्षण प्रदान करता है। आप इस इकाई के बाद के भाग में इस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के बारे में जानेंगे जहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक प्रावधानों की चर्चा की गई है।

- **अनुच्छेद 30** – धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा इकाई के बाद के भाग में "अल्पसंख्यक समूहों के हितों की सुरक्षा" शीर्षक के अंतर्गत की गई है।

2.5.2 राज्य के नीति निर्देषक सिद्धान्त और षिक्षा

राज्य के नीति निर्देषक सिद्धान्त संविधान के अंतर्गत संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 में सम्मिलित किए गए हैं। ये सिद्धांत प्रषासन, नीतियों के प्रतिपादन और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों, दोनों के लिए कानूनों से संबद्ध मामलों पर प्रबल असर रखते हैं। वे राज्य के लक्ष्यों और उद्देष्यों को मूर्त रूप देते हैं। यथार्थ में राज्य के नीति निर्देषक सिद्धान्त उन मौलिक अधिकारों से ऊपर हैं जिनका राज्य के नीति निर्देषक सिद्धान्तों के प्रभावी क्रियान्वयन के बिना कोई अर्थ नहीं है। इस श्रेणी के अंतर्गत तीन मार्गदर्षक प्रावधान हैं जो षिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं के लिए आधारभूत ढाँचा प्रदान करते हैं। ये हैं:

- **अनुच्छेद 41**: यह राज्य को उसकी प्रक्रिया क्षमताओं और विकास की सीमाओं के अंतर्गत *कार्य करने का अधिकार और सभी के लिए षिक्षा का अधिकार* प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देष देता है।

- **अनुच्छेद 45**: राज्य के नीति निर्देषक सिद्धान्तों में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद होने के नाते, इसने देष में निःषुल्क और अनिवार्य षिक्षा की नींव रखी। अनुच्छेद कहता है कि *"राज्य इस संविधान के प्रारंभ होने के दस वर्षों के अंदर बच्चों के लिए निःषुल्क और अनिवार्य षिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा जब तक कि वे चौदह वर्ष तक की आयु पूरी नहीं कर लेते।"* 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक षिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए, अनुच्छेद 21ए के सन्निवेष के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 45 को संषोधित किया गया है ताकि इसकी पहुँच को छः वर्ष तक की आयु तक पूर्व प्राथमिक षिक्षा के लिए प्रतिबंधित किया जा सके।

  संविधान में कोई भी अनुच्छेद पार्थक्य में काम नहीं करता है। वही बात अनुच्छेद 45 के लिए भी सत्य है। अनुच्छेद 29(2) की पंक्तियों के आधार पर यह सभी के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता को सुनिष्चित करता है जिसके अनुसार राज्य द्वारा सम्पोषित किसी भी संस्था में किसी को भी वंष/प्रजाति, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेष के लिए मना नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21(ए) जो सभी के लिए निःषुल्क और अनिवार्य षिक्षा का गठन (निर्माण) करता है जैसा कि मौलिक अधिकार द्वारा अनुच्छेद 45 को अत्यंत महत्व दिया गया है। 15, 29(2), 15(3), 46 और 29(1) ये पाँचों अनुच्छेद भी भारत सरकार को और पिछड़े हुए क्षेत्रों अथवा राज्यों को विशेष सहायता देने के लिए देष के सभी भागों में शैक्षिक अवसर की समानता के उत्तरदायित्व को सौंपते हैं।

- **अनुच्छेद 46** : इसके अनुसार *"राज्य कमज़ोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को खास तरह से बढ़ावा देगा, और सामाजिक अन्याय और सभी तरह के शोषणों से उन्हें बचाएगा।"* इस प्रकार अनुच्छेद 46 षिक्षा से संबद्ध अन्य सुसंगत अनुच्छेदों के साथ–साथ शैक्षिक अवसरों में गुणवत्ता को सुनिष्चित करता है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान करके जो कि विभिन्न कारणों से पीछे छोड़ दिए गए हैं।

2.5.3 षिक्षा का माध्यम

एक बहुभाषी समाज होने के कारण भारत में षिक्षा का एक रूप माध्यम, प्रायोगिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था। षिक्षा की अधिकतम पहुँच के लिए मातृ भाषा के महत्व को मान्यता दी गई। इस संदर्भ में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 350ए संस्तुत करता है कि *"यह राज्य का प्रयास होगा कि वह षिक्षा के प्राथमिक स्तर पर भाषायी अल्पसंख्यक समूहों से संबंध रखने वाले बच्चों को मातृभाषा में षिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करें और ऐसी सुविधाओं के प्रावधानों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति ऐसे निर्देष किसी भी राज्य को जारी कर सकता है जैसा कि वह आवष्यक अथवा ठीक समझता है।"*

मातृभाषा को षिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग करने की अनुमति देने का अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रीय संपर्क की भाषा की आवष्यकता को काट दिया गया है। संविधान इस बात का समर्थन करता है कि हिंदी अंततः संघ की कार्यालयी भाषा होनी चाहिए। अनुच्छेद 351 हिन्दी को राष्ट्रीय संपर्क की भाषा के रूप में प्रयोग करने की व्यवस्था करता है। यह कहता है –

"यह संघ का कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा के प्रसार को बढ़ाए, इसका विकास करे ताकि यह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेवा कर सके, और बिना इसकी विशिष्टता का अनुमान लगाए, आत्मसात करके

इसकी समृद्धि को प्राप्त कर सके, हिन्दुस्तानी और आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भारत की अन्य भाषाओं में प्रयोग किए गए रूप, शैली और अभिव्यक्ति और अपने शब्दकोष के लिए मुख्यतया संस्कृत, और दूसरे अन्य भाषाओं में जो कुछ भी आवष्यक और वांछनीय है, उसे प्राप्त कर सके।"

षिक्षा मंत्रालय और तदनन्तर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कई वर्षों से हिन्दी में कार्य करने के लिए उत्साहित करके, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार करने, उच्च कोटि के हिन्दी कार्यों के संषोधित एवं व्याख्या (टीका) किए गए संस्करण, हिन्दी विष्वकोष, शब्दकोष को प्रकाषित करने, हिन्दी में अन्य भाषाओं से साहित्य का अनुवाद करने, हिन्दी सप्ताह का अनुपालन करने आदि जैसे अनेक कदम, हिन्दी को संघ की कार्यालयी भाषा के रूप में प्रचारित करने के लिए उठाए। इन सब प्रयत्नों के बावजूद हम अब भी सही अर्थों में हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

2.5.4 षिक्षा और विधायी षक्तियों का बँटवारा

अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि भारत में षिक्षा से संबंधित नीति निर्माण करने और कानून बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है। भारत में विधायी शक्तियाँ तीनों षाखाओं में विभक्त हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं – 99 प्रविष्टियों (विषयों) सहित संघ सूची जिसके बारे में एकमात्र संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, 61 प्रविष्टियों (विषयों) सहित राज्य सूची जिसके बारे में एकमात्र राज्य विधायिका को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है और 52 प्रविष्टियों (विषयों) सहित समवर्ती सूची जिसके (विषयों के) बारे में केन्द्र और राज्य विधायिका दोनों को कानून बनाने का अधिकार है (केन्द्र और राज्य सरकार की विधायिका के मध्य विवाद की स्थिति में केन्द्र सरकार की सर्वोच्चता मानी जाती है)। षिक्षा सभी तीनों सूचियों में शामिल हैं।

संघ सूची

इस सूची में शामिल 99 प्रविष्टियों (विषयों) में से 6 प्रविष्टियाँ षिक्षा से संबंधित हैं। ये निम्नलिखित हैंः

प्रविष्टि 13: बाहरी देषों के साथ शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संबंध।

प्रविष्टि 62: राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएँ जैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इम्पिरियल वार मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल और इंडियन वार मेमोरियलः इस तरह की कोई अन्य संस्था पूर्ण रूप से अथवा आंषिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित और वैधानिक रूप से एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की गई हो।

प्रविष्टि 63: इस संविधान के प्रारंभ होने के समय जानी जाने वाली संस्थाएँ जैसे बनारस हिन्दू विष्वविद्यालय और दिल्ली विष्वविद्यालय और कोई अन्य संस्था जो वैधानिक रूप से राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की गई है।

प्रविष्टि 64: वैज्ञानिक अथवा तकनीकी षिक्षा की संस्था जो पूर्णतः अथवा आंषिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित हो और वैधानिक रूप से राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की गई हो।

प्रविष्टि 65: संघीय अभिकरण और संस्थाएँ – (क) पेषेवर (वृत्तिपरक), व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रषिक्षण के लिए, पुलिस अधिकारियों के प्रषिक्षण सहित (ख) विशेष अध्ययन अथवा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और (ग) अपराध की जाँच अथवा अभिज्ञान में वैज्ञानिक अथवा तकनीकी सहायता के लिए।

प्रविष्टि 66: उच्च षिक्षा और अनुसंधान तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं के मानकों का संयोजन एवं निर्धारण।

राज्य सूची

राज्य सूची में शामिल 61 मदों (विषयों) में से 2 षिक्षा से संबंधित हैं:

प्रविष्टि 11: यह निर्धारित करती है कि "संघ सूची की प्रविष्टियों 63, 64, 65 और 66 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के अधीन विष्वविद्यालयों सहित षिक्षा राज्य की विषयवस्तु होनी चाहिए।"

प्रविष्टि 12: पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अन्य सभी प्रकार की संस्थाओं को राज्य के क्षेत्राधिकार में रखती है, जो राज्य द्वारा नियंत्रित और वित्त पोषित होती हैं, साथ ही साथ प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और अभिलेखों को भी (उनके अलावा व जो राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हैं)।

समवर्ती सूची

प्रविष्टि 20: आर्थिक और सामाजिक नियोजन।

प्रविष्टि 25: षिक्षा, तकनीकी षिक्षा, चिकित्सा षिक्षा, प्राथमिक और विष्वविद्यालयी षिक्षा, श्रमिकों के व्यावसायिक और तकनीकी प्रषिक्षण सहित।

प्रविष्टि 26: वैधानिक (कानूनी) चिकित्सकीय और अन्य व्यवसाय।

प्रविष्टि 28: दानषील और धर्मार्थ संस्थाएँ।

प्रविष्टि 39: समाचारपत्र, पुस्तकें और प्रिन्टिंग प्रेस।

1976 तक षिक्षा राज्य का विषय थी, हालाँकि 1976 में 42वें संविधान संषोधन ने सख्त परिवर्तन किया और भारतीय संसद को इस प्राधिकार के साथ सषक्त किया गया कि वह राज्य के साथ–साथ षिक्षा पर कानून बनाए। इस संषोधन ने केन्द्र और राज्य सरकारों को, केन्द्र के साथ शैक्षिक नीतियों के निर्माण में कार्यकारी शक्तियाँ रखते हुए राज्य को दिषा–निर्देष देने के लिए बराबर की सहभागी बना दिया। केन्द्र किसी भी राज्य में किसी भी नीतिगत निर्माण को सीधे लागू कर सकता है। राष्ट्रीय षिक्षा नीति 1986 (National Policy on Education, NPE-1986) तक केन्द्र शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सहमति–जन्य उपागम पर विष्वास (भरोसा) रख रहा था। हालाँकि राष्ट्रीय षिक्षा नीति 1986 ने सहमति (सहयोग) की व्याख्या केन्द्र और राज्य के बीच अर्थपूर्ण सहभागिता के रूप में की और षिक्षा के राष्ट्रीय और समेकित चरित्र, षिक्षा की गुणवत्ता और संघीय सरकार पर जनषक्ति नियोजन को बढ़ाने के संबंध में स्पष्ट जिम्मेदारी रखी।

अतः यह स्पष्ट है कि देष के सभी बच्चों को सार्वजनिक शैक्षिक अवसर प्रदान करने का कार्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार को प्रारंभिक षिक्षा जैसे अनुसंधानों की पहल करना, राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, विभिन्न राज्यों और अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के मध्य सामान्य समझ के लिए कार्य करना आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। दूसरी तरफ राज्य सरकार को बच्चों को षिक्षा के स्थान तक लाने के प्रयास की जिम्मेदारी उठानी है। संपूर्ण नीतिगत ढाँचे के अंतर्गत षिक्षा के संगठन और ढाँचे, क्षेत्रीय सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नता से उठ रही आवष्यकताओं की पर्याप्त रूप से पूर्ति के लिए निर्णय लेना राज्य के मामले हैं।

षिक्षा राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति करने में और फलतः देष की संतुलित वृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण मानी जाती रही है। अतः, संविधान ऐसे वर्गों के हितों की सुरक्षा करने के लिए विशेष ध्यान रखता है जो शैक्षिक हस्तांतरण (अपवर्तन) के लिए अति प्रवृत्त हैं और फलतः उन्हें निम्न स्तरीय जीवन जीना होता है जैसे – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाएँ। इन वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में किए गए विशेष प्रावधानों के बारे में आपको कुछ विचार अवष्य प्राप्त हुए होंगे। यह खंड इन प्रावधानों को विशिष्ट रूप से चिन्हित करेगा और इन पर विशेष बल देगा।

2.5.5 समाज के कमज़ोर वर्गों की षिक्षा

समुदाय के कमज़ोर वर्गों (अर्थात समाज के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों) के शैक्षिक हित अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 46 के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। संविधान में अनुच्छेद 46, जैसा कि पहले इस इकाई में बताया गया है (अनुभाग 2.5.2 – नीति निर्देषक सिद्धांत और षिक्षा के अंतर्गत), दावा करता है कि राज्य विशेष सावधानी के साथ कमज़ोर वर्गों के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी तरह के शोषणों से बचाएगा। शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेष के लिए सीटों के आरक्षण देने, निःषुल्क वर्दी, किताबों के प्रावधान के रूप में विशेष उपाय और छात्रवृत्ति देकर आर्थिक सहायता देने जैसे कुछ उपाय हैं जिसे सरकार ने समाज के इन वर्गों के लिए षिक्षा की निर्बाध पहुँच को बढ़ावा देने के लिए अपनाएँ हैं।

2.5.6 अल्पसंख्यक समूह के हितों की सुरक्षा

भारत एक ऐसा देष है जहाँ पर विषाल मात्रा में भाषाई, सांस्कृतिक, जातिगत और धार्मिक अल्पसंख्यक समूह मौजूद हैं। उनकी अनोखी सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए संविधान के विभिन्न अनुच्छेद, इन वर्गों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 350 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के उल्लेख विशेष महत्व के हैं।

अनुच्छेद 29(3) यह निर्धारित करता है कि कोई भी नागरिक राज्य द्वारा संपोषित अथवा सहायता/फंड प्राप्त संस्था में केवल वंष, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेष के लिए मना नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 29(1) अनुबंध करता है कि भारत के क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों का कोई भी वर्ग, जिसकी भिन्न भाषा, लिपि अथवा अपनी स्वयं की संस्कृति हो, उसे सुरक्षित रखने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 30(1) आदेष देता है कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे किसी धर्म अथवा भाषा पर आधारित क्यों न हों, को अपने पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का अधिकार होगा जबकि **अनुच्छेद 30(2)** कहता है कि राज्य किसी भी शैक्षिक संस्था के विरुद्ध इस आधार पर कि यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के अधीन है, चाहे धर्म या भाषा पर आधारित क्यों न हो, भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद 350ए अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को षिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में षिक्षा प्रदान करने हेतु पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रयास करने का राज्य को निर्देष देता है।

अनुच्छेद 350बी भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जाँच के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।

अनुच्छेद 28(1), राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं को इनमें धार्मिक षिक्षा देने से रोकता है। हालाँकि किसी भी धर्मदाय या ट्रस्ट के अधीन संस्थापित किसी भी शैक्षिक संस्था में धार्मिक षिक्षा देने पर इस प्रकार की कोई रोक नहीं है जिसके लिए **अनुच्छेद 28(3)** के अधीन इस प्रकार की षिक्षा देने की जरूरत है। अनुच्छेद, बच्चे को यह भी स्वतंत्रता देता है कि वह स्वयं यह निष्चित करे कि वह धार्मिक षिक्षा प्राप्त करना चाहता है या नहीं।

2.5.7 बालिकाओं की षिक्षा

षिक्षा में बालिकाओं और बालकों की सहभागिता के बीच विषाल विषमता है। राष्ट्रीय वृद्धि और विकास के लिए इस अंतराल के जाँच करने की शीघ्र आवष्यकता है। राष्ट्र की वृद्धि और समृद्धि के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में संविधान ने सभी के लिए समान अवसरों की आवष्यकता को भी मान्यता दी है। फलतः **अनुच्छेद 15(1)** और **अनुच्छेद 16(1)** महिलाओं सहित सभी के हितों की सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है। यद्यपि **अनुच्छेद 15(1**) संस्तुति देता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 16(1) राज्य के अंतर्गत रोजगार और किसी भी कार्यालय में नियुक्ति हेतु सभी नागरिकों के लिए अवसर की गुणवत्ता की वकालत (समर्थन) करता है। **अनुच्छेद 15(3)** राज्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की स्वतंत्रता देता है। परिणामस्वरूप बहुत से राज्यों ने विधायिका में, सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगारों आदि में राज्य द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण किया है। इसके अलावा वे महिलाएँ, जो कमज़ोर वर्गों और अल्पसंख्यक समूहों के अंतर्गत आती हैं, वे भी इन समूहों के हितों की सुरक्षा के लिए किए गए विशेष प्रावधानों का लाभ प्राप्त करती हैं। 1976 में किए गए 42वें संविधान संषोधन में देष के नागरिकों के लिए मौलिक कर्त्तव्यों को समाविष्ट किया जो कि **अनुच्छेद 51(ए)** में सूचीबद्ध किए गए हैं। भारत के नागरिकों का एक कर्त्तव्य भारत में महिलाओं की मान मर्यादा (गरिमा/प्रतिष्ठा) के लिए अपमानजनक व्यवहारों का परित्याग करना है (**अनुच्छेद 51(ई)**)।

संविधान में इन निर्देषों का प्रभाव ऐतिहासिक घटना नैतिक उपक्रमण – राष्ट्रीय षिक्षा नीति 1986 पर देखा जा सकता है जो अनुबंध करती है कि *"षिक्षा महिलाओं की स्थिति में एक आधारभूत परिवर्तन के अभिकरण के रूप में प्रयोग की जाएगी। अतीत की संचित विकृति को निष्प्रभावित करने के लिए महिलाओं के पक्ष में एक सुविचारित कगार होगी। इसे प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय व्यवस्था (पद्धति) महिलाओं के सषक्तीकरण में एक सकारात्मक मध्यस्थ की भूमिका अदा करेगी।"* राष्ट्रीय षिक्षा नीति 1986 और कार्य योजना (Programme of Action) 1992 ने पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना करने, नए मूल्यों को विकसित करने, जेंडर पूर्वाग्रहों को दूर करने, षिक्षकों और नीति निर्धारकों के प्रषिक्षण और अभिविन्यास, महिलाओं की समस्याओं और उनके सषक्तीकरण पर संवेदनषीलता का विकास करने, विशेष समर्थन के द्वारा महिलाओं के बीच निरक्षरता को दूर करने की वरीयता देने आदि पर दबाव डाला। इन नीति निर्देषकों के साथ भारतीय षिक्षा का संपूर्ण चेहरा बदलने लगा।

बोध प्रश्न

टिप्पणी: क) अपने उत्तर दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

3) निषान लगाकर उत्तर दीजिए कि दिए गए कथन "सत्य" अथवा "असत्य" हैं:

i) अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा प्रबंधित अथवा फंड प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक षिक्षा देने की अनुमति देता है। (सत्य/असत्य)

ii) अनुच्छेद 21ए छः से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा देने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। (सत्य /असत्य)

iii) समवर्ती सूची में शामिल किए गए विषयों पर संसद और राज्य विधायिका, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। (सत्य/असत्य)

iv) अनुच्छेद 41 राज्य को सभी के लिए कार्य करने का अधिकार और षिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देष देता है। (सत्य/असत्य)

v) राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ (विषय) हैं। (सत्य/असत्य)

vi) अनुच्छेद 350ए हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयोग करने के लिए प्रचार करता है। (सत्य/असत्य)

4) भारतीय संविधान में उन अनुच्छेदों को सूचीबद्ध कीजिए जो अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा के लिए विशेष महत्व के हैं।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) निषान लगाकर उत्तर दीजिए कि दिए गए कथन "सत्य" अथवा "असत्य" हैं:

i) अनुच्छेद 15(3) केवल बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्यों को स्वतंत्रता देने से संबंधित है। (सत्य/असत्य)

ii) अनुच्छेद 29(1) भारतीय नागरिकों को उनकी अपनी भिन्न भाषा, लिपि अथवा संस्कृति रखने और उसे सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है। (सत्य/असत्य)

iii) षिक्षा में बालिका षिक्षा, राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्रों में से एक है। (सत्य/असत्य)

2.6 शैक्षिक विधान और संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की योजनाएँ

राष्ट्रीय षिक्षा नीति, 1986 के प्रतिपादन और इसकी कार्य योजना 1992 ने प्रारंभिक षिक्षा के सार्वभौमीकरण की प्रक्रिया (Universalization of Elementary Education – UEE) में एक अभिनव संवेग उत्पन्न किया। प्रारंभिक षिक्षा के गुणात्मक सुधार और परिमाणात्मक प्रसार के लिए बहुत सी नई योजनाएँ शुरु की गईं। अब हम इनमें से कुछ प्रमुख उपक्रमणों का विवरण देते हैं जिन्होंने इस दिषा में कार्य किया है और भारत में प्रारंभिक षिक्षा के प्रभाव और स्थिति को बदलने के लिए कार्य कर रहे हैं।

आपरेषन ब्लैक बोर्ड: यह योजना एक केन्द्रीकृत प्रवर्तित योजना के रूप में प्रारंभिक षिक्षा में सुधार लाने के लिए पहले से ही स्थापित विद्यालयों में अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 1987 में प्रारंभ की गई। "आपरेषन" शब्द का प्रयोग यह संकेत करता है कि इस कार्यक्रम में अत्यावष्यकता (षीघ्रता) है। कार्यक्रम के लक्ष्य सुपरिभाषित हैं और सरकार द्वारा एक निष्चित समयसीमा के अंदर प्राप्त किए जाने थे। इस योजना में यह प्रतिबद्धता भी है कि प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम दो पर्याप्त बड़े कमरे उपलब्ध कराएँ जाएँ, जिसमें लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय हों, उनके बीच कम से कम दो षिक्षकों का प्रावधान हो, उनमें से एक महिला हो और साथ ही अनिवार्य षिक्षण अधिगम सामग्री का प्रावधान हो। इन उद्देष्यों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय समुदाय द्वारा आपस में बाँटी जानी चाहिए।

जिला प्राथमिक षिक्षा कार्यक्रम (District Primary Education Programme - DPEP): केन्द्रीकृत रूप से प्रवर्तित विष्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त यह कार्यक्रम 1993 में शुरु किया गया। जिला स्तर के हस्तक्षेप के द्वारा प्रारंभिक षिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने के लिए यह एक राष्ट्रीय पहल थी। कार्यक्रम का संपूर्ण लक्ष्य है प्रारंभिक षिक्षा के सार्वभौमीकरण की रणनीति को परिचालित करने के लिए प्राथमिक षिक्षा व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना, जैसा कि राष्ट्रीय षिक्षा नीति, 1986 में विचार किया गया है।

सर्व षिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan - SSA): यह कार्यक्रम 2002 में प्रारंभिक षिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों के साथ सहभागिता में समयबद्ध समेकित उपागम के माध्यम से प्रारंभ किया गया। इसका उद्देष्य 2010 तक 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक षिक्षा प्रदान करना है। विद्यालय व्यवस्था के प्रदर्षन को सुधारने और समुदाय–स्वामित्व वाली गुणात्मक प्रारंभिक षिक्षा को मिषन–पद्धति में प्रदान करने के लिए यह एक प्रयास है। यह प्रारंभिक स्तर पर जेंडर संबंधी और सामाजिक विषमताओं को जोड़ने पर भी विचार करता है। यह भिन्न समूह के षिक्षार्थियों की शैक्षिक आवष्यकताओं पर विशेष रूप से केन्द्रित है। यह संपूर्ण देष को सम्मिलित करता है और देष में प्रारंभिक षिक्षा व्यवस्था को दृढ़ करने और सुधारने के लिए सभी तरह के संसाधन समर्थन को प्रदान करने के लिए प्रयास करता है।

षिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी षिक्षा (Education Guarantee Scheme and Altenrative and Innovative Education – EGS and AIE):

षिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी षिक्षा, सर्व षिक्षा अभियान के एक महत्वपूर्ण घटक का उद्देष्य विद्यालय न जाने वाले बच्चों को प्रारंभिक षिक्षा के स्थान तक लाना है। यह योजना इस बात पर विचार करती है कि विद्यालय न जाने वाले प्रत्येक बच्चे

के लिए बच्चे के अनुसार योजना प्रारंभ करनी चाहिए। षिक्षा गारंटी योजना एक ऐसे अगम्य निवास स्थान का सम्बोधन करती है जहाँ पर कि एक किलोमीटर के दायरे में कोई औपचारिक विद्यालय न हो और 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के कम से कम 15–25 बच्चे जो कि विद्यालय न जा रहे हों, उपलब्ध हों। यद्यपि वैकल्पिक एवं नवाचारी षिक्षा, वंचित बच्चों जैसे बाल श्रमिक, गली के बच्चे, प्रवासी बच्चे, कठिन परिस्थितियों में रह रहे कार्यरत बच्चों और यहाँ तक कि 9+ आयु वर्ग के बड़े बच्चों, विशेष रूप से नवयुवतियों की आवष्यकताओं को संबोधित करने पर ध्यान केन्द्रित करती है, षिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी षिक्षा दोनों योजनाओं के द्वारा पूरे देष भर में सहायता की जाती है।

षिक्षा कर्मी परियोजना (Shiksha Karmi Project): इस परियोजना की शुरुआत 1987 में राजस्थान में की गई और जून 1998 तक यह ऑपरेषन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत रही। इस योजना की शुरूआत षिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए की गई और इसका उद्देष्य था, षिक्षित नवयुवकों को विशेष प्रषिक्षण देकर उन्हें उनके क्षेत्रों में, विद्यालयों में, षिक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार करना था। यह योजना स्वीडिष इंटरनेषनल डेवलेपमेंट एजेंसी (एस.आई.डी.ए.), भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से षिक्षा के सार्वभौमीकरण, विद्यालय छोड़ देने वालों का पता लगाने और प्राथमिक षिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रवर्तित की गई। इस योजना का लक्ष्य निर्धारण था राजस्थान में सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े गाँव और विशेष रूप से उन क्षेत्रों की कन्याएँ।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (Mid-day Meal Programme) : इस योजना की शुरूआत 1995 में की गई। इसका उद्देष्य राज्य द्वारा सहायता (फंड) प्राप्त विद्यालयों में प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की पौषणिक स्थिति को सुधारने के लिए, गरीब बच्चों अथवा वंचित वर्गों से संबंध रखने वाले बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय जाने और षिक्षा में उनकी सहभागिता के पंजीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए था।

लोक जुम्बिष (Lok Jumbish: लोक जुम्बिष अथवा वर्ष 2000 तक सभी के लिए षिक्षा के लिए लोगों का आंदोलन स्वीडिष इंटरनेषनल डेवलेपमेंट एजेंसी (एस.आई.डी.ए.) की सहायता से प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत 383 नए विद्यालय खोले गए जबकि 227 प्राथमिक विद्यालयों को प्रोन्नत किया गया। स्थानीय समुदाय के साथ इस योजना के घनिष्ठ संयोजन के परिणामस्वरूप 3000 से अधिक सहज षिक्षा केन्द्र खोले गए जिसने राजस्थान में शैक्षिक परिदृष्य को बहुत कुछ सुधार दिया।

प्रारंभिक षिक्षा कोष (Prarambhik Shiksha Kosh): वित्त (सं. 2) अधिनियम 2004 के द्वारा गुणात्मक प्रारंभिक षिक्षा की वचनबद्धता को पूरा कर सरकार को सहायता करने के लिए सभी मुख्य केन्द्रीय करों पर 2 प्रतिषत षिक्षा उपकर लगाने का प्रावधान किया गया। इस षिक्षा उपकर के लाभ को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अक्तूबर 2005 में, सार्वजनिक खाते में प्रारंभिक षिक्षा कोष में उपलब्ध निधि (फंड) केवल सर्व षिक्षा अभियान और प्रारंभिक षिक्षा के पौषणिक समर्थन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) के लिए प्रयोग की गई थी। षिक्षा उपकर का लगाना प्रारंभिक षिक्षा के लिए सुनिष्चित फण्ड (निधि) प्रदान करने की तरफ एक ठोस कदम है।

षिक्षा का अधिकार (Right to Education – RTE) : दिसम्बर 2002 में अधिनियमित 86वाँ संवैधानिक संषोधन अधिनियम भारतीय संविधान के भाग III (मौलिक अधिकारों) में एक नए अनुच्छेद 21ए को सम्मिलित करके 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए

निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाना चाहता है। अनुच्छेद 21ए कहता है कि *"राज्य इस तरह से 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा प्रदान करेगा जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सके।"*

षिक्षा के कार्यान्वयन को एक मौलिक अधिकार के रूप में योग्य बनाने के लिए एक उपयुक्त कानून के अधिनियमन को सहज बनाने हेतु सरकार की वचनबद्धता के परिणामस्वरूप, बच्चों के लिए निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा के अधिकार का अधिनियम सन् 2009 में अधिनियमित किया गया, जोकि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसने सभी बच्चों के लिए गुणात्मक षिक्षा प्राप्त करने और सम्मानित जीवन जीने के लिए एक द्वार खोल दिया है।

बोध प्रष्न

टिप्पणीः क) अपने उत्तर दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

6) संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए प्रारंभिक षिक्षा के क्षेत्र में राज्य के प्रमुख उपक्रमणों का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2.7 सारांष

इस इकाई में हमने राष्ट्रीय विकास में षिक्षा की भूमिका की चर्चा की है। षिक्षा ने लोगों को सम्मानित जीवन जीने के लिए, उन्हें अपेक्षित ज्ञान, कौषल और अभिवृत्ति से सज्जित करने के लिए युगों से अपनी क्षमता को सिद्ध किया है। राष्ट्र को विकसित करने और अपनी पहचान बनाने में षिक्षा के व्यापक कार्यक्षेत्र और कार्यों को समझते हुए, इसे भारतीय संविधान में प्रमुख स्थान दिया गया है। निम्नलिखित तालिका विभिन्न प्रावधानों का पूर्ण दृश्य प्रस्तुत करती है जो भारत में षिक्षा से विशिष्ट संबंध रखती है।

भारत के संविधान में षिक्षा से संबंध रखने वाले प्रावधान

भाग	शीर्षक	अनुच्छेद	शीर्षक
III	**मौलिक अधिकार**	15	धर्म, वंष, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
		21ए	षिक्षा का अधिकार (दिसम्बर 2002 में 86वें संषोधन द्वारा शामिल किया गया)
		28	निष्चित शैक्षिक संस्थाओं में अथवा अन्यथा धार्मिक षिक्षा अथवा धार्मिक पूजा (उपासना) में उपस्थिति के लिए स्वतंत्रता।
		30	शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रषासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार।

IV	**राज्य के नीति निर्देषक सिद्धांत**	38	लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक आदेष प्राप्त करना।
		41	कुछ निष्चित मामलों में कार्य करने, षिक्षा प्राप्त करने और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार।
		45	6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक षिक्षा का प्रावधान।
		46	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।
IVA	**मौलिक कर्तव्य**	51ए	मौलिक कर्त्तव्य।
XI	**केन्द्र और राज्यों के बीच संबंध**	246	संसद और राज्य की विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय सामग्री।
		सातवीं अनुसूची	सूची I – संघ सूची सूची II – राज्य सूची सूची III – समवर्ती सूची
		254	संसद और राज्य की विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति।
XVII	**राजभाषा (कार्यालयी भाषा)**	350ए	प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में षिक्षा की सुविधाएँ।
		351	हिन्दी भाषा के विकास के लिए दिषा–निर्देष।

भारत, एक लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अपने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समान अवसर प्रदान करता है और उनके लिए एक अच्छे जीवन स्तर को सुनिष्चित करने का प्रयास करता है। अतः संविधान में इस सुस्पष्ट मार्गदर्षन के द्वारा भारत में षिक्षा की पद्धति (विशेष रूप से प्रारंभिक स्तर पर) राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने में इसकी क्षमताओं को प्रयोग करने और समेकित वृद्धि और विकास सुनिष्चित करने के लिए प्रकट की गई, निर्देषित की गई और विकसित की गई है। भारतीय क्षेत्र में रह रहे लोगों की भिन्न शैक्षिक आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए सतत प्रयास किए गए हैं। गुणवत्ता में सुधार लाकर और प्रारंभिक षिक्षा के विस्तार को प्रोत्साहित करके षिक्षा व्यवस्था के आधार को दृढ़ करने के लिए भारत में अनेक योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। इस इकाई में हमने इन प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत किया है, जैसे – ऑपरेषन ब्लैक बोर्ड, जिला प्राथमिक षिक्षा कार्यक्रम, सर्व षिक्षा अभियान, षिक्षाकर्मी परियोजना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, लोक जुम्बिष परियोजना, प्रारंभिक षिक्षा कोष, षिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी षिक्षा, षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आदि। यह सत्य है कि हमने षिक्षा में गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों रूपों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। लेकिन राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समेकित विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए षिक्षा में अभी भी बहुत कुछ करना व प्राप्त करना शेष है।

2.8 अभ्यास

1) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत षिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने के निहितार्थों की चर्चा कीजिए।

2) "षिक्षा केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है।" व्याख्या कीजिए।

3) बालिकाओं की षिक्षा एवं विकास हेतु उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए विशेष प्रावधानों के प्रभाव की उचित उदाहरणों की सहायता से चर्चा कीजिए।

2.9 बोध प्रष्नों के उत्तर

1) षिक्षा निम्नलिखित के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान कर राष्ट्रीय वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित कर सकता हैः
   - मानव संसाधन विकास
   - सामाजिक नियंत्रण के प्रयोग एवं उसे कायम रखने में,
   - ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिषीलता को प्रेरित करने में और
   - सामाजिक प्रगति को सहज बनाने में।

2) षिक्षा सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में देखी जाती है। प्रत्येक बच्चे को देष का जिम्मेदार नागरिक बनाने हेतु बिना किसी जाति, पंथ, वंष और लिंग का ध्यान दिए गुणात्मक षिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा। षिक्षा को शांति, प्रेम, सहिष्णुता, सत्य और आदर को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों को सभी धर्मों का आदर करने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए।

3) i) असत्य, ii) सत्य, iii) सत्य, iv) सत्य, v) असत्य, vi) असत्य

4) अनुच्छेद 28(1), अनुच्छेद 28(3), अनुच्छेद 29(1), अनुच्छेद 29(3), अनुच्छेद 30(1), अनुच्छेद 30(2), अनुच्छेद 350(ए) और अनुच्छेद 350(बी)।

5) i) असत्य, ii) सत्य, iii) सत्य,

6) ऑपरेषन ब्लैक बोर्ड, जिला प्राथमिक षिक्षा कार्यक्रम, सर्व षिक्षा अभियान, षिक्षाकर्मी परियोजना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, लोक जुम्बिष परियोजना, प्रारंभिक षिक्षा कोष, षिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी षिक्षा, षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009।

2.10 उपयोगी पुस्तकें

चौधरी, एन.के. (2009): इंडियन कांस्टीट्यूषन एंड एजुकेषन, षिप्रा पब्लिकेषन्स, नई दिल्ली।

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1993): *एजुकेषन फॉर ऑल – दी इंडियन सीन,* नई दिल्ली।

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1986): *राष्ट्रीय षिक्षा नीति, (1986),* षिक्षा विभाग, नई दिल्ली।

तनेजा, वी.आर. (2002), *फाउंडेषन ऑफ एजुकेषन – फिलॉस्फी एंड सोषियोलॉजी,* चंडीगढ़ : अभिशेक पब्लिकेषन्स।